

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा दस सेना का नाम, जिसमें वह है मुकुंद गोपाल, पुरालम्ब, अशोकेश्वर स्त्री, वर्तमान धारित पद ...

सहायक प्रो. 2

3. वर्तमान धेतन ₹ 27,300/- आगती वेतनबन्धि की तारीख 20/1/8

15

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, विवरण एवं स्थिति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		मूल्य	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिगृहीत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
इजीन	15 x 50	-	10,00,000/-	भारत (परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा)	रखियों की सम्पत्ति	निरंक	परिवार के सदस्य निरंक	
इजीन	15 x 50	-	15,00,000/-	रखियों	पेरु काश्मिर एवं बैंक के कर्षण एवं बैंक से कुल ₹. 3,50,000/- एवं 1000000 से आर्थिक विकास को 1,00,000/- एवं परिवार से दाखिल उधार लेकर खरीदा किया गया	निरंक	-	

\* जहाँ लगान न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिश्रित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक वर्ष खोपण-पत्र भर कर अर्जित करे और उसमें वह उनका स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकांश उसे विरासत में मिलती या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्जित सम्पत्ति के व्यौर दें।  
 शासकीय फॉर्म-17/12-अससप्रवि-24-1-05-10,000.

नाम मुकुंद गोपाल  
 पता पुरालम्ब अशोकेश्वर स्त्री  
 जिला राजवाड़ा इन्दौर